FTS–82/2013

न्यायालय आते0जिला कलेक्टर,टोंक

राजकीय प्रयोजनार्थ

(परशुराम धानका,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 35/2013
प्रविष्टि दिनांक 12.06.2013

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

—प्रार्थी

बनाम

घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा, तहसील मालपुरा जिला टोंक

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1. राजकीय पेरोकार श्री रामप्रसाद कुमावत व श्री मजहर आलम एड0
2. श्री तुलसीराम चावला एडवोकेट

अभिशंषा दिनांक 24.08.2022

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 157 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम टोरडी तह0 मालपुरा राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड/जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 5 बिस्वा अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1989 के द्वारा श्री घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा को जरिये नामान्तकरण सं. 3063 से गैर खातेदारी आवंटित की गई। आवटिंत भूमि की खोतदारी जरिये नामान्तकरण सं. 4420 दिनांक 30–5–1999 से हुई। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवंटन की गई भूमि का आवंटन एवं नामान्तकरण सं. 3063 से गैर खातेदारी व 4420 से खातेदारी को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी की मृत्यु की सूचना तामील कुनिन्दा द्वारा दिये जाने पर उसके वारिसान को तलब किया गया। अप्रार्थी के वारिसान की ओर से श्री तुलसीराम चावला एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश करने हेतु दिनांक 17–10–2019 को अन्डरटेंकिंग दी गई किन्तु 14 अवसर दिये जाने के पश्चात भी वकालतनामा पेश नहीं किया ओर न हीं वह स्वंय उपस्थित हुए प्रकरण में राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

राजकीय प्रयोजनार्थ

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि खसरा नम्बर 157 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम टोरडी राज्य सरकार के नाम भू प्रबन्ध के रिकॉर्ड / जमाबन्दी सम्वत् 2010 में गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। उक्त भूमि में से रकबा 5 बिस्वा भूमि अवैधानिक रूप से आवंटन आदेश दिनांक 02.02.1983 को श्री घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा को जरिये नामान्तकरण सं. 3063 से गैर खातेदारी दी गई एंव भूमि के खातेदारी अधिकार नामान्तकरण सं. 4420 दिनांक 30.05.1999 से दिये गये। जबिक भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 में वर्णित है जो आवंटन योग्य नहीं हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536 / 2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में विपक्षीगण के पक्ष में किया गया आवण्टन दिनांक 2–6–1989 एवं भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 3063 एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 4420 दिनांक 30–5–1999 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण के वारिसान अनुपस्थित रहे और ना ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज एंव जवाब पेश किया।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2066–69, नकल नामान्तकरण सं. 3063, 4420 व खतौनी बन्दोबस्त 2010–29 व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010–29 में खसरा नम्बर 157 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 2–6–1989 को खसरा नम्बर 157 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला में से 5 बिस्वा भूमि घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा तहसील मालपुरा के नाम आवण्टन किया गया। आवण्टन आदेश की अनुपालना में घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा को नामा0 सं0 3063 के द्वारा गैर खातेदारी एंव नामा0 संख्या 4420 दि0 30–5–1999 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

चूँकि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010–29 में खसरा नम्बर 157 गैर मुमकिन नाला भूमि दर्ज थी। घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी और बाद मे खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 2–6–1989 को भूमि घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि घासी पुत्र भूरा जाति माली निवासी अम्बापुरा तहसील मालपुरा जिला–टोंक को दिनांक 2–6–1989 को खसरा नम्बर 157/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम अम्बापुरा (टोरडी) से किया गया आवंटन तथा आवंटन आदेश की पालना मे श्री घासी पुत्र भूरा जाति

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

आज्ञा से

रीडर
न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

अति. जिला कलेक्टर
टोंक

राजकीय प्रयोजनार्थ

माली निवासी अम्बापुरा के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 3063 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 4420 दिनांक 30—5—1999 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 157/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम अम्बापुरा(टोरडी) तहसील मालपुरा जिला—टोंक को पुनः गैर मुमकिन नाला सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

([illegible] धानका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

सत्य प्रतिलिपि
आज्ञा से

रीडर
न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)